

प्रकरण हाजा के हालात इस प्रकार है कि दिनांक 25.03.2022 को परिवादी श्री रमेश चंचलानी पुत्र स्व० केशवचंद उम्र 56 साल जाति सिंधी निवासी मकान नम्बर 894 महावीर नगर द्वितीय कोटा ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो कोटा मे उपस्थित होकर एक हस्तलिखित शिकायत श्री ठाकुर चन्द्रशील कुमार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के समक्ष इस आशय की पेश की कि— मैं श्री रमेश चंचलानी पुत्र स्व० केशवचंद उम्र 56 साल जाति सिंधी निवासी मकान नम्बर महावीर नगर द्वितीय 894 कोटा का रहने वाला हूँ। मैं सार्वजनिक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) कोटा मे ए क्लास ई०डब्ल्यू०एस० मे पंजीकृत ठेकेदार हूँ। मैंने कोरोना काल वर्ष 2021 मे डी०जी० जनरेटर के सेट अस्पताल मे लगवाये थे, जिनका भुगतान तथा गोरव पथ कस्बा कापरेन जिला बूंदी मे वर्ष 2018-19 मे स्ट्रिट लाईट लगाई थी, जिसकी एसडी राशि का भुगतान एवं फाईनल बिल की राशि का भुगतान करवाने की ऐजव मे अवध बिहारी मकवाना (एक्सईन पीडब्ल्यूडी इलेक्ट्रीकल) खण्ड कोटा मुझसे 30000/रु तीस हजार रुपये की मांग कर रहे है। साथ ही मेरे मित्र जगदीश बौकन फर्म राहुल इलेक्ट्रीकल के नाम टेंडर कोमर्स कालेज की न्यू बिल्डिंग मे लाईट फिटींग का कार्य आदेश होने पर पच्चीस हजार रुपये की माँग कि मेरी जमानत ली गई थी, उसके भी 10000/रुपये भी मुझसे मांग रहे है। मैंने अवध बिहारी मकवान एक्सईएन को उक्त राशि नही दी तो उन्होने मेरी एसीआर की रिपोर्ट एच.क्यू. ऑफिस (चीफ ऑफिस) जयपुर भिजवा दी। जिससे मेरा रजिस्ट्रेशन पुनर्वा लोकन नहीं हो पाया है। मैं अवध बिहारी मकवान एक्सईएन से जाकर मिला तो उन्होने मुझसे कहा की मेरे हिस्से की बकाया कार्यों की राशि लाकर दो तो मैं तुम्हारी वह तुम्हारे बेटे के फर्म गौरव एन्टरप्राइजेज की एसीआर रिपोर्ट अच्छी बना कर भेज दूंगा और राशि नहीं दी तो ठेकेदारी करना भुला दूंगा। मैं उनको कोई रिश्वत राशि देना नहीं चाहता हूँ, बल्कि मैं अवध बिहारी मकवाना एक्सईएन को रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों पकडवाना चाहता हूँ। मेरी उक्त अधिकारी कोई दुश्मनी नहीं है और ना ही मेरा उनसे कोई उधार का लेनधेन बकाया है। कार्यवाही करने की कृपा करे। श्री ठाकुर चन्द्रशील कुमार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने मन पुलिस निरीक्षक अजीत बगडोलिया का परिचय परिवादी श्री रमेश चंचलानी से करवाकर परिवादी द्वारा पेशशुदा प्रार्थना पत्र पृष्ठांकित कर अग्रिम कार्यवाही के निर्देश दिए। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी द्वारा पेश लिखित प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया एवं मजीद दरयाफ्त पर परिवादी ने प्रार्थना पत्र स्वयं द्वारा हस्त लिखित होना बताया। परिवादी को प्रार्थना पत्र पढकर सुनाया तो प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यों की ताईद की, मजीद दरयाफ्त व पेश प्रार्थना पत्र से मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की परिधि मे आना पाये जाने से परिवादी की शिकायत का गोपनीय सत्यापन हेतु अग्रिम कार्यवाही प्रारंभ की गई।

परिवादी श्री रमेश चंचलानी का परिचय श्री भरत सिंह कानि० 515 से करवाया तथा मालखाने से डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड निकलवाया जाकर परिवादी को सुपुर्द कर उसे चालू व बन्द करने की विधि समझाई। परिवादी श्री रमेश चंचलानी को आरोपी अवध बिहारी मकवाना (एक्सईन पीडब्ल्यूडी ई-ई) से अपने कार्य व रिश्वत राशि की मांग के संबंध मे स्पष्ट वार्ता करने तथा वार्ता को डिजीटल वाईस रिकार्डर मे रिकार्ड करने की समझाईश की। फर्द सुपुदुर्गी डिजीटल वाईस रिकार्डर पृथक से तैयार की गयी। परिवादी रमेश चंचलानी मय श्री भरत सिंह कानि० 515 के रिश्वत मांग सत्यापन हेतु कार्यालय पी०डब्ल्यू०डी० विभाग राजभवन नयापुरा कोटा के लिये परिवादी के कार आई. 20 से रवाना किया कुछ समय बाद परिवादी श्री रमेश चंचलानी व श्री भरत सिंह कानि० 515 वापस कार्यालय हाजा आये, परिवादी श्री रमेश चंचलानी ने अपने पास से डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड पेश किया तथा बताया कि मैं व श्री भरत सिंह जी रवाना होकर कार्यालय पी०डब्ल्यू०डी० राजभवन नयापुरा कोटा के पास पहुँचे थे, जहां श्री भरत सिंह जी को बाहर ही छोडकर मैं डिजीटल वाईस रिकार्डर को चालू करके कार्यालय के अन्दर गया, जहां पर अवध बिहारी मकवाना (एक्सईन पीडब्ल्यूडी ई-ई) उनके कक्ष मे बैठे मिले, जिनसे मेरे एसीआर व पेण्डिंग बिलो के भुगतान के बारे मे बात की तो उन्होने मुझे तीस हजार मेरे व दस हजार रुपये राहुल इले० के मांगे तो मैंने पच्चीस हजार रुपये व दस हजार राहुल इले० के देने के लिये बोला फिर शाम को उनके घर आने के लिये बोला है। हमारे बीच हुई वार्ता सरकारी डिजीटल वाईस रिकार्डर मे रिकार्ड हो गयी है। श्री भरत सिंह कानि० ने बताया कि मैं परिवादी के साथ पीडब्ल्यूडी कार्यालय के बाहर पहुँचा, तथा परिवादी के कार्यालय परिसर के अन्दर जाने पर मैं उसके पीछे-पीछे कार्यालय परिसर मे गया तथा

मैने यथासंभवन निकट रहकर रिश्वत मांग की गोपनीय सत्यापन की निगरानी की, थोड़ी देर बाद परिवादी कार्यालय भवन के बाहर आया, जिसके साथ मैं वापस कार्यालय हाजा आया हूँ। परिवादी द्वारा पेश डिजीटल वाईस रिकार्डर में परिवादी व आरोपी के बीच रिकार्ड हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता को मन् पुलिस निरीक्षक ने सुना गया तो परिवादी के कथनों की पुष्टि हुई। फर्द प्राप्त डिजिटल वाईस रिकार्डर मुर्तिब की गई।

परिवादी श्री रमेश चंचलानी ने बताया कि मुझे शाम को अवध बिहारी मकवाना (एक्सईन पीडब्ल्यूडी ई-ई) ने बुलाया है, जो मुझे फोन करेगा तब मुझे तुरंत उनके घर जाना पड़ेगा। इस पर मन पुलिस निरीक्षक ने परिवादी को बताया कि आरोपी अवध बिहारी मकवाना एक्सईन का कॉल आने पर तुरंत सूचित करे, जिस पर श्री भरत सिंह कानिस्टेबल को डिजीटल वाईस रिकार्डर लेकर भेजेगे, परिवादी को आवश्यक हिदायत कर कार्यालय हाजा से रूकसत किया गया। समय 07.43 पी.एम. पर परिवादी श्री रमेश चंचलानी ने जर्ने मोबाईल वार्ता करने पर बताया कि मेरे पास अवध बिहारी मकवाना (एक्सईन पीडब्ल्यूडी ई-ई) का फोन आ गया है, वो मेरी महावीर नगर तृतीय के चौराहे पर अम्बर डेयरी के पास वाली दुकान पर ही आ रहे है, इस पर श्री भरत सिंह कानि0 515 को वास्ते सत्यापन हेतु मय डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड के परिवादी के बताये स्थान अम्बर डेयरी के पास महावीर नगर तृतीय कोटा रवाना किया गया। जिसकी फर्द सुपुदुर्गी डिजीटल वाईस रिकार्डर पृथक से तैयार की गयी।

बाद रिश्वत मांग गोपनीय सत्यापन परिवादी श्री रमेश चंचलानी व श्री भरत सिंह कानि0 515 के वापस कार्यालय हाजा आये ओर परिवादी श्री रमेश चंचलानी ने अपने पास से डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड पेश किया तथा बताया कि आपके कार्यालय के भरत सिंह जी मय डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड के मेरी दुकान अम्बर डेयरी के पास महावीर नगर तृतीय कोटा पर आ गये थे। जिन्होंने मुझे डिजीटल वाईस रिकार्डर को चालू व बंद करने की विधि समझाकर सुपुर्द कर दिया था। श्री भरत सिंह जी निगरानी हेतु अपनी उपस्थिति छुपाते हुये मेरे आस पास ही खडे हो गये थे। कुछ देर बाद अवध बिहारी मकवाना (एक्सईन पीडब्ल्यूडी इलेक्ट्रिकल) मेरी दुकान के बाहर एक सफेद रंग की गाडी से उतर कर आये ओर उनके साथ एक व्यक्ति ओर आया, जिनसे मैंने मेरी एसीआर के बारे में बात करी तो उन्होंने मुझे कितने रूपये के इन्तजाम की पूछकर मुझसे पन्द्रह हजार रूपये ले साथ आये व्यक्ति को दिलवाये ओर शेष रहे रूपये भी कल ही देने के लिये बोलकर चले गये। हमारे बीच हुई वार्ता सरकारी डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड में रिकार्ड हो गयी है। परिवादी द्वारा बाद रिश्वत मांग सत्यापन पेश डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड को मन् पुलिस निरीक्षक ने प्राप्त करके रिकार्डर में रिकार्ड वार्ता को सुना गया तो परिवादी के कथनों की पुष्टि हुई। श्री भरत सिंह कानि0 ने भी परिवादी के कथनों की ताईद की। जिसकी फर्द प्राप्त डिजिटल वाईस रिकार्डर मुर्तिब की गई। इसके बाद परिवादी श्री रमेश चंचलानी ने बताया कि मेरे पास एक्सईएन साहब को देने के लिए रिश्वत राशि नहीं है, एक दो दिन में जैसे ही रूपयो का इंतजाम हो जायेगा, मैं राशि लेकर आपके कार्यालय में आ जाऊंगा। इस पर परिवादी को आरोपी को दी जाने वाली राशि का शीघ्र इंतजाम कर कार्यालय में उपस्थित आने व गोपनीयता की हिदायत कर रूकसत किया गया।

दिनांक 29.03.2022 को समय 10.00 ए.एम. पर परिवादी श्री रमेश चंचलानी कार्यालय हाजा उपस्थित आये, जिन्होंने बताया कि मैं किसी काम से कल पी0डब्ल्यू0डी0 कार्यालय राजभवन रोड नयापुरा कोटा गया था तो मुझे अवध बिहारी मकवाना (एक्सईन पीडब्ल्यूडी ई-ई) मिल गए थे, उन्होंने मुझे उनके कक्ष में बुलाया तथा मुझ पर दबाव बनाकर जबरदस्ती मुझसे दस हजार रूपये ले लिये है और उनकी मांग के अनुसार शेष रही रिश्वत राशि अठारह हजार रूपये आज लेकर बुलाया है। इसलिये मैं अठारह हजार रूपये साथ लेकर आया हूँ। ट्रेप कार्यवाही के लिए स्वतंत्र गवाहान की आवश्यकता होने से श्री भरत सिंह कानि0 515 को एक तहरीर कार्यालय उप वन संरक्षक कोटा के नाम देकर दो कार्मिक तलब करने हेतु रवाना किया। थोड़ी देर में श्री भरत सिंह कानि0 515 कार्यालय उप वन संरक्षक कोटा से दो कार्मिक श्री कैलाश सुमन पुत्र स्व0 मदनलाल माली जाति माली उम्र 23 साल निवासी रामद्वारा के पास चेचट राजस्थान हाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय उप वन संरक्षक कोटा मो0न0 9694864702 व श्री महावीर गुर्जर पुत्र श्री मांगीलाल शर्मा गुर्जर उम्र 32 साल निवासी बसेडा मोहल्ला (आल्ड ब्लॉक स्कूल के पास)

झालावाड राजस्थान हाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय उप वन संरक्षक कोटा मो0न0 9887274303 के उपस्थित आया। परिवादी श्री रमेश चंचलानी का परिचय दोनो कार्मिकों से करवाया ओर परिवादी का पेश प्रार्थना पत्र दोनो गवाहान को पढवाकर बतौर स्वतंत्र गवाह रहने की सहमति चाही गयी, जिस पर दोनो गवाहान ने अपनी सहमति देकर परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अपने अपने हस्ताक्षर किये।

इसके पश्चात डिजिटल वाईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड मे दिनांक 25.03.2022 की रिश्वत मांग सत्यापन के सम्बन्ध में रिकॉर्ड की गई वार्ता प्रथम को डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड को लेपटॉप मे लगाकर स्पीकर चालू कर, उक्त दोनो स्वतंत्र गवाहान व परिवादी श्री रमेश चंचलानी को सुनाया गया तथा उक्त वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता प्रथम श्री भरत सिंह कानि0 515 से नियमानुसार तैयार करवायी गयी। इसके बाद डिजिटल वाईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड मे दिनांक 25.03.2021 की रिश्वत मांग के सम्बन्ध में रिकॉर्ड की गई वार्ता द्वितीय को डिजीटल वाईस रिकार्डर को लेपटॉप मे लगाकर स्पीकर चालू कर, दोनो स्वतंत्र गवाहान व परिवादी श्री रमेश चंचलानी को सुनाया गया, उक्त वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता द्वितीय श्री भरत सिंह कानि0 515 से नियमानुसार तैयार करवायी गयी।

परिवादी ने बताया कि मैने पीडब्ल्यूडी ऑफिस मे मेरे परिचित से अवध बिहारी मकवाना एक्सईएन साहब के बारे मे पता किया था, तो पता चला है कि वो आज सुबह से ही ऑफिस नहीं आए है। मेरी एक्सईएन साहब से अक्सर फोन पर वार्ता होती रहती है, मे उन्हें फोन कर पुछूंगा तो वो कब तक कार्यालय मे आएंगे बता देगे या मुझे किसी अन्य स्थान पर बुला लेगे। इस पर परिवादी के मोबाईल नम्बर 7976342426 से आरोपी के मोबाईल नम्बर 9462396218 पर कॉल करवाया तो आरोपी द्वारा कॉल रिसीव नहीं किया। परिवादी ने बताया कि एक्सईएन साहब फ्री होते ही मुझे वापस कॉल करेगे। इस पर आरोपी के कॉल के इंतजार मे कार्यालय मे मुकीम रहे। थोडी देर पश्चात आरोपी अवध बिहारी मकवाना एक्सईएन के मोबाईल नम्बर 9462396218 से परिवादी के मोबाईल नम्बर 7976342426 पर कॉल आया, जिस पर परिवादी ने वार्ता की तो आरोपी ने ऑफिस से बाहर होना तथा मेडिकल कॉलेज मिटींग मे जाना बताया तथा मिटींग के बाद कॉल करने व शाम को मिलने के बारे मे कहा। उक्त वार्ता को परिवादी के मोबाईल का स्पीकर ऑन कर डिजीटल वाईस रिकार्डर मे रिकार्ड किया गया।

इसके बाद डिजिटल वाईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड मे दिनांक 29.03.2021 को मिलने के संबंध मे आरोपी के मोबाईल नम्बर 9462396218 व परिवादी के मोबाईल नम्बर 7976342426 से हुई वार्ता जिसे परिवादी के मोबाईल का स्पीकर ऑन कर डिजीटल वाईस रिकार्डर मे रिकार्ड किया गया है। डिजीटल वाईस रिकार्डर को लेपटॉप मे लगाकर स्पीकर चालू कर उक्त मोबाईल पर हुई वार्ता को दोनो स्वतंत्र गवाहान व परिवादी श्री रमेश चंचलानी को सुनाया गया, तथा मोबाईल वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट श्री भरत सिंह कानि0 515 से नियमानुसार तैयार करवायी गयी। समय 07.45 पी.एम. तक मन पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान व परिवादी रमेश चंचलानी के कार्यालय हाजा मे आरोपी अवध बिहारी एक्सईएन के कॉल के इंतजार मे मुकीम रहा। आरोपी अवध बिहारी एक्सईएन का कॉल नहीं आने के कारण परिवादी श्री रमेश चंचलानी ने बताया कि एक्सईएन मुझसे मिलते तो अब तक उसका कॉल आ जाता तथा अब एक्सईएन का मिलने के लिए कॉल आने की कोई संभावना नहीं है, अब वो मुझे कल उनके कार्यालय मे ही 11 बजे बाद मिलेगे। इस पर परिवादी व स्वतंत्र गवाहान को गोपनीयता की हिदायत कर दिनांक 30.03.2022 को 10.00 बजे प्रातः कार्यालय हाजा मे उपस्थित आने की हिदायत कर रूखसत किया।

दिनांक 30.03.2022 समय 10.30 ए.एम. पर मामूरा स्वतंत्र गवाहान श्री कैलाश सुमन हाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय उप वन संरक्षक कोटा व श्री महावीर गुर्जर हाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय उप वन संरक्षक कोटा उपस्थित आए, इसके पश्चात परिवादी श्री रमेश चंचलानी कार्यालय हाजा उपस्थित आया, जिसने बताया कि अवध बिहारी मकवाना एक्सईएन का रात तक मेरे पास कोई कॉल नहीं आया है, आज वो कार्यालय मे आ गए है, जो

शेष रही रिश्वत राशि मेरे से उनके कार्यालय मे ही लेगे, उनकी मांग के अनुसार शेष रही रिश्वत राशि अठारह हजार रुपये आया हूँ। दोनो स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी श्री रमेश चंचलानी ने आरोपी श्री अवध बिहारी मकवाना को रिश्वत में दी जाने वाली राशि भारतीय मुद्रा के पांच-पांच सौ रुपये के 36 नोट कुल 18000/- रुपये मन पुलिस

निरीक्षक को पेश किये जिनके नम्बर फर्द में अंकित किए। श्री जोगेन्द्र सिंह कानि. नं. 182 से मालखाना से फिनोफथलीन पावडर की शीशी निकलवाकर उक्त नोटों को एक अखबार के ऊपर रखकर उन पर सावधानी पूर्वक फिनोफथलीन पावडर लगवाया गया ताकि पावडर की उपस्थिति प्रभावी किन्तु अदृश्य रहे। परिवादी श्री रमेश चंचलानी की तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री कैलाश सुमन से लिवाई गई। परिवादी श्री रमेश चंचलानी के पास उसके पहने हुए वस्त्रों एवं मोबाईल के अलावा अन्य कोई वस्तु नहीं रहने दी गई। रिश्वत में दिये जाने वाले पाउडर लगे हुए अठारह हजार रूपये परिवादी के पहने हुई पेन्ट की सामने की दांयी जेब में श्री जोगेन्द्र सिंह कानि. नं. 182 से रखवाये गये। इसके बाद एक काँच के गिलास में साफ पानी मंगवाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पावडर डालकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग रंगहीन रहा। उक्त रंगहीन घोल में श्री जोगेन्द्र सिंह कानि. नं. 182 के हाथ की उंगलियों को डालकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया। इस प्रक्रिया व दृष्टांत को गवाहान् एवम् परिवादी को समझाया गया कि सदिग्ध व्यक्ति इन नोटों को अपने हाथ से ग्रहण करेगा या छुयेगा तो उसके हाथ सोडियम कार्बोनेट के घोल में धुलवाने पर घोल का रंग गुलाबी हो जायेगा। जिस अखबार पर रखकर रिश्वत में दी जाने वाली राशि/नोटों पर फिनोफथलीन पाउडर लगवाया गया था उस अखबार को जलाकर नष्ट करवाया गया व घोल को बाहर फिंकवाया गया। फिनोफथलीन पावडर की शीशी वापस मालखाने में रखवायी गई, दृष्टांत की कार्यवाही में प्रयुक्त किया गया गिलास कार्यालय में ही पृथक से रखा गया। ट्रेप कार्यवाही में काम में आने वाले गिलास व शीशियों को साबुन व पानी से अच्छी तरह धुलवाये गये। परिवादी को हिदायत दी गई कि उक्त नोटों को रास्ते में अनावश्यक रूप से नहीं छुयें एवं आरोपी द्वारा मांगने पर ही रिश्वत राशि देवें तथा रिश्वत राशि व स्वयं के कार्य के संबंध में स्पष्ट वार्ता करे तथा रिश्वत देने के बाद अपने सिर पर दोनो हाथ फेरकर इशारा करे। दोनो स्वतंत्र गवाहान को भी समझाया की रिश्वत के लेनदेन को यथासंभव निकट रहकर देखने व सुनने का प्रयास करें। डिजीटल टेप रिकार्डर परिवादी श्री रमेश चंचलानी को दिया जाकर चालू व बंद करने का तरीका पुनः समझाया गया तथा रिश्वत के लेनदेन की वार्ता को रिकॉर्ड करने हेतु समझाईश दी। फर्द पेशकशी नियमानुसार मुर्तिब कर शामिल पत्रावली की गई। इसके पश्चात समय 12.15 पी.एम. पर परिवादी श्री नरेन्द्र चंचलानी, भरत सिंह कानि0 515 व श्री नरेन्द्र सिंह कानि0 305 को परिवादी की कार से रवाना किया तथा परिवादी के पीछे-पीछे श्री मुकेश कुमार सैनी कानि. 71, श्री योगेन्द्र सिंह कानि. 282 को मोटरसाईकिल से पीछे-पीछे मन पुलिस निरीक्षक, दोनों स्वतंत्र गवाहान एव श्री दिलीप सिंह वरिष्ठ सहायक प्राईवेट वाहन कार से मय लेपटॉप, प्रिन्टर ट्रेप बॉक्स व अन्य आवश्यक सामग्री के ट्रेप कार्यवाही हेतु रवाना होकर सार्वजनिक निर्माण विभाग कार्यालय परिसर पहुँचा, जहाँ परिवादी रमेश चंचलानी अन्य जाप्ता उपस्थित मिला। परिवादी को डिजीटल वाईस रिकार्डर चालू करवाकर आरोपी के कार्यालय के लिए रवाना किया, परिवादी के पीछे-पीछे निगरानी हेतु श्री नरेन्द्र सिंह कानि. व श्री भरत सिंह कानि. को रवाना किया। मन पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान व अन्य जाप्ता के पीडब्ल्यूडी कार्यालय परिसर के आस-पास परिवादी के इशारे के इंतजार में मुकीम हुआ। समय 12.35 पी.एम. पर परिवादी रमेश चंचलानी ने कार्यालय भवन के बाहर आकर अपने सिर पर हाथ फेरकर आरोपी द्वारा रिश्वत राशि ग्रहण करने का पूर्व निर्धारित इशारा किया जिस पर मन पुलिस निरीक्षक अजीत बगडोलिया दोनों स्वतंत्र गवाह श्री कैलाश सुमन एवं श्री महावीर एवं हमराही एसीबी जाबते के पैदल चलकर परिवादी के पास पहुंचे। मन पुलिस निरीक्षक ने परिवादी से डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर प्राप्त कर बन्द कर सुरक्षित अपने पास रखा। परिवादी ने बताया कि श्री अवध बिहारी मकवाना ने मुझ से रिश्वत राशि अपने कक्ष की खिडकी में रखने के लिए इशारा किया, जिस पर मैंने अपनी जेब से 18,000 रूपये निकालकर उनके द्वारा इशारा की गई जगह पर रख दिये तथा मेरे कार्य से संबन्धित वार्ता करके मैं बाहर आया, मेरे पीछे-पीछे एक्स.ई.एन. मकवाना जी भी इनके कक्ष से बाहर आये थे, मैं बिल्डींग से नीचे आया तथा आपको निर्धारित इशारा किया। तत्पश्चात मन पुलिस निरीक्षक मय जाबता मय गवाहान के परिवादी को हमराह लेकर भवन में प्रथम तल पर आरोपी श्री अवध बिहारी के कक्ष में पहुंचे, जंहा अवध बिहारी मकवाना नहीं मिले, जिस पर परिवादी ने कहा कि वो टी.ए. के कमरे में गये हैं, इस पर इस पर मन पुलिस निरीक्षक समस्त जाबता मय गवाहान परिवादी के पीछे पीछे अधीक्षण अभियंता के टी.ए. विनय आर्य के कक्ष में पहुंचे, जंहा पर आखों पर ऐनक पहने हुये फ्रेन्दी

दाडी वालें बैठे हुये व्यक्ति की तरफ परिवारी ने इशारा कर बताया की ये ही अवध बिहारी जी हैं, जिन्होंने मुझ सें रिश्वत राशि इनके कमरे की खिडकी में रखवाये थे, इस पर उक्त व्यक्ति को मन पुलिस निरीक्षक ने अपना व टीम का परिचय देकर अपने आने का मन्तव्य बताया व उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम श्री अवध बिहारी मकवाना (ए.बी मकवाना) पुत्र जगन्नाथ जाति दर्जी उम्र 53 साल निवासी- 909, आनन्दपुरा योजना पत्थरमण्डी थाना अनन्तपुरा कोटा हाल अधिशाषी अभियंता, (इलेक्ट्रीकल डिवीजन) सार्वजनिक निर्माण विभाग, कोटा बताया, कक्ष में बैठे अन्य व्यक्ति श्री विनित आर्य सें पूछा तो उसने बताया कि मकवाना जी अभी-अभी एक दो सैकण्ड पहले ही यंहा आकर बैठे है। तत्पश्चात अवध बिहारी एक्सईएन को हमराह लेकर मय जाब्ले मय गवाहान व परिवारी के श्री अवध बिहारी मकवाना एक्स.ई.एन. के कक्ष में पहुंचे। तत्पश्चात अवध बिहारी मकवाना सें परिवारी श्री रमेश चंचलानी सें ली गई रिश्वत राशि बाबत पूछा तो वह मौन रहा, पुनः पुछने पर बताया कि ये रमेश जी चंचलानी यंहा मेरे पास आये थे इन्होंने मुझ सें इनकी एसीआर भरने के लिए कहा था तो मैने इनसें एसीआर में पोईन्ट 18,19 के बारे में बात की थी तथा इसके बाद ये चले गये थे, मैने इनसें कोई रूपये पैसे नहीं लिये तथा ना ही यंहा पर रखवाये हैं। ये मेरे जाने के बाद ये रिश्वत की रकम रखकर चला गया होगा इसका मुझे पता नहीं हैं।

इस पर परिवारी ने आरोपी अवध बिहारी मकवाना की बात का खण्डन करते हुये कहा कि ये झूठ बोल रहे हैं, मै इनके पास इसी कक्ष में आया तथा कुछ देर अन्य बात करने के बाद इन्होंने मेरी एसीआर के बारे में बताया तथा कहा कि मै बहुत अच्छी लेग्वेज में आपकी एसीआर तैयार कर रहा हूं तथा इसके बाद इन्होंने मुझे एसीआर में भरी जाने वाली लेग्वेज इनके द्वारा लिखे हुये कागज सें पढकर सुनाई, फिर मेरे बिल के बारे में बात करने पर इन्होंने कहा वो बाकी बचे हुये बीस तो कर दो तो मैने कहा था कि 18 की बात हुई थी, तो इन्होंने कहा कि उन्नीस तो कर दो तो मैने कहा था कि अभी तो 18 हैं, एक हजार रूपये में फिर दे जाऊंगा तो इन्होंने कहा कि फाईनल कर देते। फिर मेरे द्वारा अपनी पेन्ट की जेब सें 18,000 इनको देने के लिए निकाले तो इन्होंने खिडकी की तरफ रखने का इशारा किया, जिस पर इनके इशारे के अनुसार मैने खिडकी में पर्दे के पीछे 18,000 रूपये रख दिये थे। इन्होंने कोई सी भी एसीआर के 18, 19 पोईन्ट की बात नहीं की थी ये रिश्वत में लिये जाने वाले रूपयों के बारे में ही बात कर रहे थे तथा इनके पास लिखे हुये कागज में अन्य हिसाब व 19,000 रूपये लिखे हुये थे जो इन्होंने मुझे दिखाया था।

आरोपी श्री अवध बिहारी के कक्ष की खिडकी में पर्दे के पीछे परिवारी द्वारा बताये स्थान पर पांच- पांच सौ रूपये के नोट रखे हुये मिले जिनको स्वतंत्र गवाहान सें उठाकर गिनवाये गये तो वो पांच-पांच सौ रूपये के 36 नोट कुल 18,000 रूपये थे, उक्त नोटों के नम्बरों का मिलान स्वतंत्र गवाहान सें फर्द पेशकशी सें करवाया तो नोटों के नम्बरों का हूबहू मिलान हुआ, बरामद नोटों के नम्बरों का विवरण निम्न प्रकार है -

क्र०स०	नोटों का प्रकार	नोटों के नम्बर
1.	एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का	0 BV 430479
2.	एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का	0 BV 430480
3.	एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का	0 BV 430481
4.	एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का	0 BV 430482
5.	एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का	0 BV 430483
6.	एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का	0 BV 430484
7.	एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का	0 BV 430485
8.	एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का	0 BV 430486
9.	एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का	0 BV 430487

10.	एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का	0 BV 430488
11.	एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का	0 BV 430489
12.	एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का	0 BV 430490
13.	एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का	0 BV 430491
14.	एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का	0 BV 430492
15.	एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का	0 BV 430493
16.	एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का	0 BV 430494
17.	एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का	0 BV 430495
18.	एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का	0 BV 430496
19.	एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का	0 BV 430497
20.	एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का	0 BV 430498
21.	एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का	2 DG 613471
22.	एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का	2 DG 613472
23.	एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का	2 DG 613473
24.	एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का	2 DG 613474
25.	एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का	2 DG 613475
26.	एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का	2 DG 613476
27.	एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का	2 DG 613477
28.	एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का	2 DG 613478
29.	एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का	2 DG 613479
30.	एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का	2 DG 613480
31.	एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का	2 DG 613481
32.	एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का	2 DG 613482
33.	एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का	2 DG 613487
34.	एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का	2 DG 613488
35.	एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का	2 DG 613489
36.	एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का	2 DG 613490

उक्त नोटों को कागज के एक पीले लिफाफे में रखकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर नोटों को बतौर वजह सबूत जब्त कर कब्जे एसीबी लिया। खिडकी के रिश्वत राशि बरामदगी स्थल का धोवन लिया जाना आवश्यक होने से धोवन लिये जाने की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। कार्यालय में रखे हुये पानी के केम्पर से साफ पानी श्री देवेन्द्र सिंह कानि0 304 से मगवाया जाकर कांच के एक गिलास में पानी डलवाकर, उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पावडर डाल कर घोल तैयार करवाया तथा हाजरीन को दिखाया, तो सभी ने घोल के रंग को रंगहीन होना बताया। एक सफेद कपडे की चिन्दी से खिडकी के राशि 18,000 बरामदगी स्थल को रगडकर कांच के गिलास में बने घोल में धुलवाया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया, धोवन को दो कांच की साफ शीशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर

सील चिट करा मार्क W-1, W-2 अंकित किया गया तथा चिन्दी को सुखाकर चिन्दी पर संबन्धितों के हस्ताक्षर करवाये तथा चिन्दी को कपडे की थैली में रखकर सील्ड मोहर कर थैली पर मार्क C अंकित कर कपडे की थैली पर संबन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर, कपडे की थैली को कब्जा एसीबी लिया गया। श्री रमेश चंचलानी से आरोपी द्वारा 18,000 रुपये सीधे ही खिडकी में रखवाने एवं परिवादी के पीछे पीछे कक्ष से बाहर निकलने के कारण आरोपी अवध बिहारी मकवाना की हाथ धुलाई नहीं करवाई गई।

इसके बाद डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में रिश्वत राशि लेनदेन के समय रिकॉर्ड हुई वार्ता को मन पुलिस निरीक्षक ने सुना तो परिवादी के कथनों की पुष्टि हुई। रिश्वत लेनदेन के समय हुई वार्ता की ट्रांसक्रिप्ट पृथक से तैयार की जावेगी। आरोपी श्री अवध बिहारी से दौराने मांग सत्यापन दिनांक 25.03.2022 को शाम को परिवादी श्री रमेश चंचलानी की दुकान पर परिवादी से लिये गये 15,000 रूपयों बाबत पूछा तो बताया कि मैने रमेश चंचलानी से कोई डिमाण्ड नहीं की थी, इसने ही अपनी मर्जी से दिए थे, जो मैने मेरे साथ आये मेरे किरायेदार श्री मनोज को 15000 रूपये दिलवा दिए थे, जो मैने घरेलू कार्यों मे खर्च कर दिए है। इसके बाद दिनांक 28.03.2022 को स्वयं के कार्यालय में परिवादी से लिये गये 10,000 रूपयों बाबत पूछा तो बताया कि मैने इनसे दिनांक 28.03.2022 को मेरे कार्यालय में कोई दस हजार रूपये नहीं लिये है।

आरोपी श्री अवध बिहारी मकवाना से परिवादी के कार्य से संबन्धित बिलों के बारे में पूछा तो बताया कि मेरे पास इनके कोई बिल पेण्डिंग नहीं हैं। परिवादी के अवध बिहारी मकवाना द्वारा पूर्व में पास किये गये बिलों एवं परिवादी व उसके पुत्र की फर्म की एसीआर संबंधी दस्तावेज प्राप्त करने हेतु अधीक्षण अभियंता, विद्युत खण्ड, सार्वजनिक निर्माण विभाग कोटा को तहरीर जारी की गई।

आरोपी की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री कैलाश से लिवाई गई तो आरोपी श्री अवध बिहारी मकवाना की पहनी हुई पेंट जेब एक पर्स मिला जिसमें 2670 रूपये हैं, जिनको स्वतंत्र गवाह के पास सुरक्षित रखवाये गये, एक मोबाईल हल्के सोने के रंग का Samsung कम्पनी का मॉडल galaxy j 4 प्लस का डबल सीम मिला। आरोपी व परिवादी के मध्य मोबाईल से रिश्वत लेनदेन के संबन्ध में मिलने इत्यादि के संबन्ध में वार्तायें हुई हैं अतः मोबाईल galaxy j 4 IMEI No.First-325980109917457, Sim No.-9462396218 & IMEI No.Second-352981109917455 Sim.No.9784178909 को कपडे की थैली में रखकर शील्ड मोहर कर मार्क ABM अंकित कर कपडे की थैली पर संबन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत जप्त कर कब्जा एसीबी लिया। आरोपी की पहनी हुई पेंट के पिछली दांयी जेब मे दो सफेद कागज मिले, मुख्य अभियंता विद्युत सार्वजनिक निर्माण विभाग जयपुर राजस्थान जयपुर को संबोधित करते हुए हस्तलेख से लिखा हुआ है, जिसके विषय मे मैसर्स रमेश इलेक्ट्रिकल के महावीर नगर सेकण्ड वार्षिक कार्य मूल्यांकन के संदर्भ मे लिखा हुआ है, जिसमे प्रथम पृष्ठ के आगे पीछे तथा द्वितीय पृष्ठ के आगे के भाग पर काली स्याही से लिखा हुआ है, जिसके पीछे राशि का हिसाब किताब लिखा हुआ है, परिवादी ने बताया कि इन्ही कागजों का पढकर एक्सईएन साहब ने मुझे सुनाया था तथा कागज के पीछे लिखे हुए हिसाब से देखकर मुझे 19000/रूपये बाकी होना बताया था, इस पर द्वितीय पृष्ठ के पीछे की तरफ लिखे हिसाब को देखा तो नीचे की ओर गोले मे 19000 व अन्य राशि लिखी हुई है। उक्त दोनो कागजो पर परिवादी के एसीआर संबंधी कार्य व राशि का विवरण अंकित होने से दोनो कागजों पर पृष्ठ संख्या अंकित कर परिवादी, गवाहान व आरोपी के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत जप्त कर कब्जे एसीबी लिया गया। उपरोक्त सम्पूर्ण कार्यवाही से पाया गया है कि आरोपी श्री अवध बिहारी मकवाना एक्सईएन द्वारा परिवादी रमेश चंचलानी की फर्म रमेश इलेक्ट्रिकल के वर्ष 2021 मे कोरोना काल मे अस्पतालों मे लगवाए गए डी0जे0 सेट के बिलों को पास करने तथा कापरेन मे गौरव पथ पर स्ट्रीट लाईट के वर्ष 2018-19 के काम की एसडी राशि का बिल पास करवाने की एवज मे तीस हजार रूपये की रिश्वत की राशि की मांग करना तथा परिवादी के परिचित जगदीश बौकन की फर्म राहुल इलेक्ट्रिकल के द्वारा कामर्स कॉलेज कोटा की न्यू बिल्डिंग मे लाईट फिटींग के कार्य आदेश होने के संबन्ध मे दस हजार रूपये की मांग करना तथा परिवादी व उसके पुत्र की फर्म की एसीआर रिपोर्ट सही भेजने की एवज मे रिश्वत की मांग करना, परिवादी की शिकायत के गोपनीय सत्यापन के दौरान दिनांक 25.03.2022 को आरोपी अवध बिहारी मकवाना द्वारा परिवादी से रिश्वत की मांग करना एवं रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता द्वितीय के दौरान परिवादी

से 15000/- रूपये प्राप्त करना तथा दिनांक 30.03.2022 को दौराने ट्रैप कार्यवाही आरोपी अवध बिहारी मकवाना द्वारा अपने कार्यालय कक्ष मे परिवादी से रिश्वत राशि के लेन-देन संबंधी वार्ता कर उक्त रिश्वती राशि 18,000/रूपये अपने कमरे की खिडकी मे परदे के पीछे में रखवाने तथा रिश्वती राशि 18,000/रूपये उक्त स्थान से बरामद होने तथा रिश्वत राशि बरामद स्थान के धोवन का रंग हल्का गुलाबी आने से आरोपी श्री अवध बिहारी मकवाना (ए. बी मकवाना) पुत्र जगन्नाथ जाति दर्जी उम्र 53 साल निवासी- 909, आनन्दपुरा योजना पत्थरमण्डी थाना अनन्तपुरा कोटा हाल अधिशाषी अभियंता, (इलेक्ट्रीकल डिवीजन) सार्वजनिक निर्माण विभाग, कोटा का उक्त कृत्य धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। फर्द बरामदगी नियमानुसार अंकित कर शामिल पत्रावली की गई।


इसके पश्चात दिनांक 30.03.2022 को दौराने रिश्वत राशि लेन-देन परिवादी रमेश चंचलानी एवं आरोपी अवध बिहारी मकवाना के मध्य हुई वार्ता, जो डिजीटल वॉईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड मे रिकार्ड की गई है, डिजीटल वॉईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड से उक्त वार्ता श्री भरत सिंह कानि. 515 के द्वारा को लेपटॉप में लिवाया जाकर लेपटॉप के स्पीकर चालू कर वार्ता को परिवादी व दोनों स्वतंत्र गवाहान को सुनाया गया तथा फर्द ट्रांसक्रिप्ट नियमानुसार तैयार की जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। इसके बाद दोनो स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी श्री रमेश चंचलानी के समक्ष कार्यालय के सरकारी डिजीटल वॉईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड मे परिवादी श्री रमेश चंचलानी व आरोपी अवध बिहारी मकवाना एक्सईएन के मध्य दिनांक 25.03.2022 को रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान रिकार्ड प्रथम व द्वितीय वार्ता, दिनांक 29.03.2022 को परिवादी श्री रमेश चंचलानी व आरोपी अवध बिहारी मकवाना के मध्य हुई मोबाईल वार्ता तथा दिनांक 30.03.2022 को दौराने रिश्वत लेन-देन परिवादी श्री रमेश चंचलानी व आरोपी अवध बिहारी मकवाना मध्य रिकार्ड हुई वार्ता को डिजीटल वॉईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड से श्री भरत सिंह कानि. 515 द्वारा लेपटॉप मे लिवाया जाकर, लेपटॉप के जरिये चार सी0डी0 मे डब्ड करवायी। जिसमे से एक सी0डी0 माननीय न्यायालय के लिये, एक सी0डी0 नमूना आवाज के लिये व एक सी0डी0 आरोपी के लिये पृथक पृथक कपडे की थैली मे रखकर सील्ड मोहर की गई एवं एक सी0डी0 अनुसंधान अधिकारी के लिए लिफाफे में रखाकर शामिल पत्रावली की गई। डिजीटल वॉईस रिकार्डर से मेमोरी कार्ड Sandisk micro sd 16GB निकालकर मेमोरी कार्ड के कवर मे रखकर एक कपडे की थैली मे रखकर सील्ड मोहर कर मार्क "M" दिया जाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर जप्त किया गया। तीनों सील्ड कपडे की थैलियो एवं मेमोरी कार्ड की सील्ड थैली पर सील अंकित की गई। फर्द डबिग नियमानुसार तैयार कर शामिल पत्रावली की गई।

आरोपी अवध बिहारी मकवाना के निवास की खाना तलाशी हेतु गए श्री वासुदेव पुलिस निरीक्षक ने जर्गे मोबाईल बताया कि आरोपी के मकान मे बेडरूम मेब नी वार्डरोब की चांबी आरोपी के परिजन आरोपी के पास होना बता रहे है, इस पर आरोपी से पुछा तो आरोपी ने वार्डरोब की चांबी कार्यालय की टेबिल की दराज से निकाल कर पेश की, जिसे श्री नरेन्द्र कानि. 305 को दी जाकर आरोपी के मकान पर जाकर श्री वासूदेव पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द करने हेतु रवाना किया। इसके पश्चात मन् पुलिस अधीक्षक ने परिवादी श्री रमेश चंचलानी की निशांदेही से दोनो स्वतंत्र गवाहान के समक्ष घटनास्थल का नजरी निरीक्षण कर नक्शा मौका तैयार किया जाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाए गये। फर्द नक्शा मौका शामिल पत्रावली किया गया। दोनो स्वतंत्र गवाहान के समक्ष आरोपी अवध बिहारी मकवाना हाल अधिशाषी अभियंता (इलेक्ट्रीकल डिवीजन) कार्यालय सार्वजनिक निर्माण विभाग कोटा को नोटिस नमूना आवाज दिया गया, मूल नोटिस पर आरोपी ने लिखित मे आवाज का नमूना नही देने बाबत् स्वयं हस्तलेख से " मैं अपनी आवाज का नमूना स्वइच्छा से नही देना चाहता हूँ " लिखा। मूल नोटिस नमूना आवाज पर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। आरोपी अवध बिहारी मकवाना पुत्र श्री जगन्नाथ उम्र 54 साल जाति दर्जी निवासी 909 आनन्दपुरा पत्थरमंडी थाना अनन्तपुरा कोटा हाल अधिशाषी अभियंता (इलेक्ट्रीकल डिवीजन) कार्यालय सार्वजनिक निर्माण विभाग कोटा का कृत्य धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होना पाया जाने पर जर्गे फर्द गिरफ्तारी गिरफ्तार कर हिरासत मे लिया गया, फर्द गिरफ्तारी पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाए जाकर शामिल पत्रावली की गई। परिवादी को हिदायत मुनासिब कर

रुखसत किया गया। मन पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान, हमराह जाप्ता, गिरफ्तारशुदा आरोपी अवध बिहारी मकवाना के मय लेपटॉप, प्रिन्टर ट्रेप बॉक्स व अन्य आवश्यक सामग्री व बरामदशुदा रिश्वत राशि 18000/ रूपये का लिफाफा, शील्डशुदा धोवन की 2 शीशीयों कमशः मार्क W-1, W-2, चिन्दी का शील्डशुदा पेकिट मार्क-"C", आरोपी का जप्तशुदा मोबाईल का पेकिट मार्क "ABM" एवं शील्डशुदा तीन सी.डी. व एक मेमारी कार्ड का शील्डशुदा पेकिट "M" मय प्राईवेट वाहन कार व मोटरसाईकिलों से रवाना होकर कार्यालय हाजा पहुँचा। प्रकरण मे बरामदशुदा रिश्वत राशि का लिफाफा व जप्तशुदा आर्टिकल्स मालखाना प्रभारी श्री देवेन्द्र सिंह कानि. को सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाया। आरोपी श्री अवध बिहारी मकवाना का स्वास्थ्य परीक्षण करवा थाना नयापुरा मे सुरक्षित अभिरक्षा मे छोडा गया।


उपरोक्त सम्पूर्ण कार्यवाही से पाया गया हैं कि आरोपी श्री अवध बिहारी मकवाना एक्सईएन द्वारा परिवादी रमेश चंचलानी की फर्म रमेश इलेक्ट्रिकल के वर्ष 2021 मे कोरोना काल मे अस्पतालों मे लगवाए गए डी0जे0 सेट के बिलों को पास करने तथा कापरेन मे गौरव पथ पर स्ट्रीट लाईट के वर्ष 2018-19 के काम की एसडी राशि का बिल पास करवाने की एवज मे तीस हजार रूपये की रिश्वत की राशि की मांग करना तथा परिवादी के परिचित जगदीश बौकन की फर्म राहुल इलेक्ट्रिकल के द्वारा कामर्स कॉलेज कोटा की न्यू बिल्डिंग मे लाईट फिटींग के कार्य आदेश होने के संबंध मे दस हजार रूपये की मांग करना तथा परिवादी व उसके पुत्र की फर्म की एसीआर रिपोर्ट सही भेजने की एवज मे रिश्वत की मांग करना, परिवादी की शिकायत के गोपनीय सत्यापन के दौरान दिनांक 25.03.2022 को आरोपी अवध बिहारी मकवाना द्वारा परिवादी से रिश्वत की मांग करना एवं रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता द्वितीय के दौरान परिवादी से 15000/- रूपये प्राप्त करना तथा दिनांक 30.03.2022 को दौराने ट्रेप कार्यवाही आरोपी अवध बिहारी मकवाना द्वारा अपने कार्यालय कक्ष मे परिवादी से रिश्वत राशि के लेन-देन संबंधी वार्ता कर उक्त रिश्वती राशि 18,000/रूपये अपने कमरे की खिडकी मे परदे के पीछे में रखवाने तथा रिश्वती राशि 18,000/रूपये उक्त स्थान से बरामद होने तथा रिश्वत राशि बरामद स्थान के धोवन का रंग हल्का गुलाबी आने से आरोपी श्री अवध बिहारी मकवाना पुत्र जगन्नाथ जाति दर्जी उम्र 53 साल निवासी- 909, आनन्दपुरा योजना पत्थरमण्डी थाना अनन्तपुरा कोटा हाल अधिशाषी अभियंता, (इलेक्ट्रीकल डिवीजन) सार्वजनिक निर्माण विभाग, कोटा का उक्त कृत्य धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

अतः आरोपी श्री अवध बिहारी मकवाना पुत्र जगन्नाथ जाति दर्जी उम्र 53 साल निवासी - 909, आनन्दपुरा योजना पत्थरमण्डी थाना अनन्तपुरा कोटा हाल अधिशाषी अभियंता, (इलेक्ट्रीकल डिवीजन) सार्वजनिक निर्माण विभाग, कोटा के विरुद्ध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमान महानिदेशक महोदय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर को कमांकन हेतु प्रेषित है।


(अजीत बगडोलिया)
पुलिस निरीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा

कार्यवाही पुलिस


प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री अजीत बगडोलिया, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री अवध बिहारी मकवाना, अधिशाषी अभियंता, (इलेक्ट्रीकल डिवीजन) सार्वजनिक निर्माण विभाग, कोटा के विरुद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 104/2022 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।


31.3.22
उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर

क्रमांक 921-25 दिनांक 31.03.2022

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ट न्यायाधीश एवं सेशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, कोटा।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. शासन उप सचिव, कार्मिक (क-3/शिकायत) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा।


उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर